कार्यालय प्राचार्य,शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर

दिनांक 21/04/2025

अति आवश्यक– सूचना

NIC Scholarship 2.0 Portal (Only Renewal)

मुख्यमंत्री मेधावी योजना एवं मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना

NIC Scholarship 2.0 Portal पर प्रदर्शित सूचना के आधार पर सत्र 2021–22 एवं सत्र 2022–23 में NIC Scholarship Portal 2.0 से मुख्यमंत्री मेधावी योजना एवं मुख्यमंत्री जनकल्याण संबंल योजना अंतर्गत जिन विद्यार्थियो के नवीनीकरण आवेदन (Only Renewal) नही भरे है या लॉक नही कर पाये है उनके लिये पोर्टल पुनः प्रारंभ हुआ है। जिसकी विवरण निम्नानुसार है :–

सत्र 2021–22 दिनांक 22/04/2025 से 29/04/2025 है।

सत्र 2022–23 दिनांक 24/04/2025 से 16/05/2025 है।

अतः संबंधित विद्यार्थी अंतिम दिनांक तक **अपने** आवेदन भरकर/लॉक कर समस्त आवश्यक दस्तावेजो की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न कर तथा कक्षा प्रभारी से हस्ताक्षर करवाकर कार्यालय में प्रस्तुत करें। **निर्धारित अवधि के उपरांत यदि कोई विद्यार्थी मुख्यमंत्री मेधावी योजना एवं मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन नही करता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विद्यार्थी की रहेगी। इस स्थिति में यदि किसी विद्यार्थी के सी.एम हेल्पालाईन या अन्य किसी प्रकार की शिकायत की जाती है इसे संबंधित विद्यार्थी की लापरवाही मानकर उसकी जानकारी शासन एवं संबंधित विभाग की प्रेषित की जावेगी। अतः असुविधा से बचने हेतु संबंधित विद्यार्थी अपनी पात्रता के अनुसार आज ही अपने ऑनलाईन आवेदन पोर्टल पर भरकर कार्यालय में प्रस्तुत करें।**

प्रभारी प्राचार्य,
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर

प्रभारी प्राचार्य
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय
इन्दौर म.प्र.

-महत्वपूर्ण सूचनाएँ (MMVY)

समस्त संस्थाओं/विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, ऐसे विद्यार्थी, जो सत्र 2021-22 एवं सत्र 2022-23 के (RENEWAL) नवीनीकरण आवेदन जमा नहीं कर पाये हैं, वे निम्नानुसार निर्धारित तिथियों में पोर्टल पर आवेदन जमा कर सकते हैं:-

स.क्र.	सत्र	नवीनीकरण आवेदन स्वीकार करने की दिनांक
1.	सत्र 2021-22	दिनांक **22/04/2025** से दिनांक **29/04/2025** तक
2.	सत्र 2022-23	दिनांक **22/04/2025** से दिनांक **16/05/2025** तक

निर्धारित तिथि के पश्चात उक्त सत्रों हेतु नवीनीकरण (Renewal) आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

सत्र 2021-22 हेतु विद्यार्थियों से अनुरोध है कि, समय सीमा में ही संस्थाओं से संपर्क कर अपने आवेदन सत्यापित एवं स्वीकृत करवा लें, जिससे भुगतान की कार्यवाही की जाकर अगले सत्र 2022-23 हेतु नवीनीकरण(Renewal) आवेदन निर्धारित तिथियों में ही भरे जा सकें ।

संस्थाओं से अनुरोध है कि, उक्त जानकारी से संबंधित विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से अवगत कराएं ।